राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017

दूरभाष नं. 0141–2701596 E-mail: rajssaquality@gmail.com

क्रमांकः रा.स्कूल.शि.प. / जय / गुणवत्ता / विद्यालय अवलोकन / 2019–20 3476 दिनांकः 12/7/19

1. **संयुक्त निदेशक,**
   समस्त संभाग।
2. **मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,**
   समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
3. **प्रधानाचार्य,**
   डाईट, समस्त जिले।
4. **जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय** (मा.शि. / प्राशि.)
   समस्त जिले।
5. **मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,**
   समग्र शिक्षा अभियान,
   समस्त ब्लॉक।
6. **पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी** एवं
   CRCF समस्त जिले।

विषय :– ''शाला सम्बलन अभियान'' के नवीनतम मापदण्ड निर्धारण के क्रम में।

प्रसंग :– परिषद् के पत्रांक – रास्कूलशिप / जय / गुणवत्ता / 2018–19 / 3861 / दिनांक 23.07.2018 एवं पत्रांक – रास्कूलशिप / जय / गुणवत्ता / विद्यालय अवलोकन / 2018 / 10840 दिनांक 18.01.2019 के सन्दर्भ में।

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों के द्वारा राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अवलोकन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश एवं प्रतिमाह अवलोकन के मानदण्ड जारी किये गये थे।

उक्त दिशा–निर्देशों में कतिपय महत्वपूर्ण बिन्दु सम्मिलित करते हुये संभाग / जिला / ब्लॉक एवं पंचायत स्तरीय अधिकारियों के लिए प्रतिमाह अवलोकन / सतत् शैक्षिक सम्बलन के मापदण्ड निम्नानुसार संशोधित किये जाते है। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप गुणवत्ता सुधार हेतु संचालित इस वृहद् एवं सघन सम्बलन कार्यक्रम को ''**शाला सम्बलन अभियान** '' नाम दिया जाता है।

विद्यालय अवलोकन / सतत् शैक्षिक सम्बलन हेतु संभाग / जिला / ब्लॉक / CRCF (PEEO कार्यालय) के लिए प्रतिमाह के निर्धारित मानदण्ड :–

स्तर	अधिकारी	प्रत्येक माह (जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर) में अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या	प्रत्येक माह (अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर) में अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या	प्रत्येक माह (जनवरी, फरवरी, मार्च एवं अप्रैल) में अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या	सत्र में कुल अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या	विशेष विवरण
संभाग	संयुक्त निदेशक (JD) स्कूल शिक्षा	7	5	5	56	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 2 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (अकादमिक)	10	10	5	80	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 2 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक (DPC)	10	10	8	92	अनिवार्यतः 2 माध्यमिक, 3 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	सहायक निदेशक	10	10	8	92	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 3 उमावि. एवं शेष अन्य

www.rajteachers.com

शिक्षा अभियान कार्यालय						विद्यालय
	जिला शिक्षा अधिकारी (मा. शि / प्रा.शि.)	10	10	8	92	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 2 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त)	10	10	8	92	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 3 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, कार्यालय	अतिरिक्ता जिला परियोजना समन्वयक	10	10	8	92	अनिवार्यतः 2 माध्यमिक, 3 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	सहायक परियोजना समन्वयक (समस्त)	10	10	8	92	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 3 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	कार्यक्रम अधिकारी (समस्त)	11	11	8	92	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 1 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
डाइट कार्यालय	प्रधानाचार्य	10	10	8	92	अनिवार्यतः 2 माध्यमिक, 3 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	उप प्रधानाचार्य एवं समस्त फैक्ल्टी (व्याख्याता, वरिष्ठ व्याख्याता)	10	10	8	92	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 3 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन BRCF समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन BRCF	12	12	10	112	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 2 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – प्रथम	12	12	10	112	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 2 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – द्वितीय	12	12	10	112	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 2 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	सन्दर्भ व्यक्ति (समस्त)	15	15	12	138	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक विद्यालय एवं शेष अन्य विद्यालय
पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय	पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)	• उत्कृष्ट विद्यालय का माह में अनिवार्यतः दो बार अवलोकन। • पंचायत क्षेत्र के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्य विद्यालयों का प्रत्येके माह में एक बार (वर्ष में न्यूनतम सात बार) अवलोकन।				

नोट :– उक्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा शाला सम्बलन अभियान के अन्तर्गत अवलोकन एवं प्रपत्रों का अपलोड करने से सम्बन्धित एवं समस्त अधिकारियों के पंजीकरण सम्बन्धित दिये गये निर्देशों की पालना अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।

विशेष उल्लेखनीय बिन्दु :–

1. प्रत्येक अधिकारी शाला सम्बलन के दौरान विद्यालय में पूरे समय तक उपस्थित रहकर सम्बलन प्रदान करेंगे। इस दौरान विद्यालय की शैक्षिक, सहशैक्षिक, भौतिक, सामुदायिक गतिविधियों तथा नवाचारात्मक गतिविधियों आदि का गहनता से अवलोकन कर तथा सुधार हेतु आवश्यक सुझाव देंगे।
2. इस दौरान कक्षाओं में अवलोकनकर्ता / सम्बलनकर्ता अधिकारी स्वयं शिक्षण / अध्यापन करवाकर शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को प्रेरित करने का कार्य भी करेंगे तथा शैक्षिक सम्बलन प्रदान करेंगे।
3. अवलोकनकर्ता सतत् रूप से अवलोकन के बिन्दुओं का अनुश्रवण (Follow Up) कर अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति की सुनिश्चितता करेंगे।
4. अवलोकनकर्ता / सम्बलनकर्ता अधिकारी सम्बन्धित विद्यालयों में सम्बलन के दौरान शाला दर्पण को अपने समक्ष खुलवाकर समस्त प्रकार की फीडिंग की जांच करेंगे। यदि शाला दर्पण अपूर्ण है तो उसको उसी दिन पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे।
5. अवलोकनकर्ता अधिकारी अपने अवलोकन के दौरान एसडीएमसी / एसएमसी / समुदाय के सदस्यों व जनप्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क / बैठक कर विद्यालयों में शैक्षिक व भौतिक विकास / सुधार पर चर्चा कर

www.rajteachers.com

सम्बलन प्रदान करेंगे, साथ ही विद्यालय स्टाफ के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक सुझाव/सम्बलन प्रदान करेंगे।

6. JD, CDEO, DEO और CBEO प्रतिमाह समीक्षा बैठक कर अपने क्षेत्राधिकार में यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यालयों का 100 प्रतिशत अवलोकन हो, अवलोकन में दौहराव नहीं हो, प्रत्येक स्तर पर एक माह पूर्व ही विद्यालयवार समस्त अधिकारियों के विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम प्राप्त कर दौहराव को रोका जा सकता है। एक बार भी अवलोकित नहीं किये गये विद्यालयों की सूची शाला दर्पण पोर्टल पर School Visit Menu में School Monitoring Target Report पर क्लिक कर देखी जा सकती है।
7. JD, CDEO, DEO और CBEO अपने क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में "शाला सम्बलन पंजिका" का संधारण करवायेंगे। जिसमें सम्बलनकर्ता द्वारा अवलोकन के दौरान विद्यालय में पायी गई कमियों को अंकित करते हुये उन्हें निर्धारित समय में पूर्ण करने के सुझाव अंकित करेंगे।
8. शाला दर्पण पोर्टल पर "शाला सम्बलन पंजीकरण" लिंक द्वारा समस्त प्रशासनिक एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के नियमानुसार पंजीकरण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
9. मानदण्डानुसार नियमित विद्यालय अवलोकन कर प्रपत्र शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करना भी सुनिश्चित किया जावें।
10. एक ही कार्यालय के अधिकारीगण आपसी समन्वय से अवलोकन हेतु कार्य योजना इस प्रकार तैयार करें कि कार्यालय की स्थानीय व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित हो सके।
11. शाला सम्बलन के दौरान सम्बन्धित विद्यालय की एक फोटो जिसमें समय व दिनांक अंकित हो भी साथ ही Upload करें।

(डॉ. आर वेंकटेश्वरन)
IAS
प्रमुख शासन सचिव
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
राजस्थान सरकार जयपुर

क्रमांक – रास्कूशिप/गुणवत्ता शिक्षा/विद्यालय अवलोकन/2019/ 3476
दिनांक : 12/7/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक) स्वतंत्र प्रभार राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
4. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
7. अति. राज्य परियोजना निदेशक, प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. समस्त जिला प्रभारी, राज्य कार्यालय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर/निदेशालय माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
9. समस्त जिला प्रभारी, राज्य कार्यालय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
10. श्री विनोद जैन, तकनीकी निदेशक, एनआईसी को भेज कर लेख हैं कि उक्त नवीन पदों के अनुसार विद्यालय अवलोकन पंजीकरण एवं विद्यालय अवलोकन मॉडयूल में आवश्यक परिवर्तन किया जाना सुनिश्चित करें।
11. उपायुक्त (शाला दर्पण/मॉनीटरिंग) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार शाला सम्बलन अभियान के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डानुसार संबलन जिलावार प्रगति स्थिति से प्रतिमाह आयुक्त सह. विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
12. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
IAS
विशिष्टि शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं
आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्,
जयपुर

www.rajteachers.com